न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 47/2020 जिला भीलवाड़ा

1. श्री चन्द्रा पिता हजारी चमार(बैरवा) उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मुकनगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज0)

–अपीलांट

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 871/91 दिनांक 20.03.1993, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 कि धारा 14 एवं उपनिवेशन(जनरल कॉलोनी) कडिसंस 1955 की शर्त सं0 22–23 के विरूद्ध।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री अम्बालाल कुमावत(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः–उपस्थित

निर्णय   दिनांकः–06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुकनगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में दिनांक 12.01.1983 अपीलांट एवं उसके भाई लादू को खसरा नम्बर 347 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र की थी। कमाण्ड क्षेत्र की भूमि का आरक्षित मूल्य जमा नही करवाने से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 871/91 निर्णय दिनांक 20.03.1993 से उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया। अपीलांट के भाई लादू की मृत्यु आवंटन के पश्चात होना बताया एवं उसकी पत्नि कमली ने अन्यत्र विवाह कर लिया एवं उसके पुत्र शंकर की भी मृत्यु हो गई थी। अपीलाधीन प्रकरण के संदर्भ में अपीलांट के अनुसार हमे कोई नोटिस/सूचना/मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय के समय सुना नहीं गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.1993 को निरस्त किया जायें एवं आवंटन को बहाल रखा जायें तथा आरक्षित मूल्य मय ब्याज जमा करने के आदेश प्रदान किया जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की अपील तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 29.05.2018 को दर्ज करवायी थी। जो राजस्व ग्रुप–6 की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान [illegible] अपीलांट ने बताया कि दिनांक 20.03.1993 को प्रकरण संख्या 871/91 में जिला कलक्टर [illegible] उक्त आवंटन निरस्त किया गया था। कमाण्ड क्षेत्र में भूमि होने से इस बाबत राशि ज[illegible] नहीं कराने से आवंटन निरस्त किया गया। हमे प्रोपर तामील नही हुई [illegible] मृत्यु हो चुकी थी। [illegible]आर0 को पत्रावली पर नही लिया गया। राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि लादू की पत्नि के नाते चले जाने बाबत कोई सबूत नहीं है। लादू की पत्नि कमली को पक्षकार बनाया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:37 IST
Reason: SelfAttested

चाहिए था। लादू की मृत्यु कब हुई यह बताया नहीं गया। आवंटन आदेश प्रमाणित नहीं है। डिमाण्ड राशि बाबत आदेश प्रमाणित नहीं है। एल0आर0 को पत्रावली पर लाने मे देरी की गई है। अपील खारिज की जायें। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य ओर बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.1993 की जानकारी राजस्व कैम्प में पटवारी द्वारा जमाबंदी की नकल मांगने पर मई 2018 में हुई। दिनांक 22.05.2018 को नकल हेतु आवेदन पत्र लगाया तथा दिनांक 24.05.2018 को नकल प्राप्त हुई। इसके बाद शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गई। देरी को क्षमा किया जाये। प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट प्रार्थी द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 29.05.2018 को अपील तत्समय अपील दिनांक 29.05.2018 को आरएए भीलवाड़ा में प्रस्तुत कर दी गई। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रभारी अनुभाग जिला अभिलेखालय भीलवाड़ा के अनुसार अपीलाधीन प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड जाया रजिस्टर के क्रम संख्या 245 पर दर्ज कर दिनांक 20.09.2000 को नष्ट किया जा चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली इस समय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई है। मगर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 20.03.1993 को प्रकरण संख्या 871/91 में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर शंकर पुत्र लादू मु0 कमली बेवा लादू, चन्द्रा पुत्र हजारी निवासी मुकनगढ़ विरूद्ध बाद सुनवाई आदेश जारी कर ग्राम मुकनगढ़ की आराजी नम्बर 347 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा को राज्य पक्ष में पुर्नग्रहण करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश भूमि का आरक्षित मूल्य मय ब्याज जमा नहीं करवाने की वजह से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 14 एवं राजस्थान उपनिवेशन(जनरल कॉलोनी कंडीसन्स 1955)की शर्त संख्या 22,23 का उल्लघंन करने की वजह से उक्त आदेश जारी किया गया था। जहां तक अपीलांट द्वारा यह आक्षेप किया गया था कि उन्हे तामील नही हुई थी। यह बात भी आदेश का अवलोकन करने पर सत्य प्रतित नहीं होती है। क्योंकि उक्त वाद में अप्रैल 1991 व दिनांक 30.12.1992 को तहसीलदार माण्डलगढ के माध्यम से अपीलांटगण अप्रार्थी पर तामील होकर तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा अपीलांट अप्रार्थी द्वारा नोटिस तामील होने की दिनांक से तीस दिन की अवधि गुजर जाने के बाद से राशि जमा नहीं करवायी। इस बात का अंकन किया गया है। अपीलांट द्वारा अभी भी राशि जमा कराने बाबत कोई दस्तावेज अपील बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि लादू की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को पत्रावली पर लिया गया था। अतः अपीलांट की यह बात गलत है कि वारिसान को पत्रावली पर नहीं लिया गया। न्यायालय राजकीय अभिभाषक की इस बात से सहमत है कि कमली को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। लादू और शंकर की मृत्यु कबं हुई है यह अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया है। अतः वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है।

समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.1993 उचित रूप से जारी किया गया था। आवंटित भूमि का आरक्षित मूल्य मय ब्याज अपीलांट अप्रार्थी द्वारा जमा नहीं करवाये जाने से उक्त आदेश जारी किया गया था तथा उक्त आदेश जारी करने के दौरान अपीलांट अप्रार्थी की तामील होना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथो से अपील को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 871/91 उनवानी तहसीलदार माण्डलगढ़ बनाम शंकर एवं अन्य अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 14 एवं (राजस्थान उपनिवेशन(जनरल कॉलोनी कंडीसन्स 1955)की शर्त संख्या 22,23 का उल्लंघन) निर्णय दिनांक 20.03.1993 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:37 IST
Reason: SelfAttested